हितग्राही 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कर लाटरी में भाग लेवे

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानों का आबंटन खुली लाटरी पद्वति से किया जाना है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्रता संबंधी सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भूतल के मकानों का आबंटन किया जाना है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में किरायेदारी के रूप में निवासरत वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों द्वारा पूर्व में मकान हेतु आवेदन निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना के काउन्टर कक्ष क्रं. 16 में जमा किये है। इस समाचार को सूचना मानकर संबंधित आवेदक 1 जुलाई 2025 तक निगम कार्यालय में उपस्थित होकर आवास आबंटन के कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत निगम कोष में जमा करें। ताकि 3 जुलाई 2025 को होने वाली लाटरी प्रक्रिया में शामिल कर भूतल के आवासों का आबंटन किया जा सके।